बिहार सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग

ज्ञाप सं0–12/नि0 1009/2010 (छा0 सं0)–सा0प्र0– 5418 /पटना, दिनांक– 05.05.2017

सेवा में,

महालेखाकार (ले0 एवं ह0),
बिहार, पटना ।

अनौपचारिक रूप से परामर्शित ।

द्वारा– वित्त विभाग, बिहार, पटना ।

विषयः– बिहार प्रशासनिक सेवा संवर्ग के लिए विभागीय स्वीकृत्यादेश सं0–3983 दिनांक 03.5.2010 एवं 8487 दिनांक 30.08.2010 के द्वारा अस्थायी रूप से सृजित तथा स्वीकृत्यादेश सं0–14187 दिनांक–30.08.2013 के द्वारा दिनांक 01.04.2013 के प्रभाव से अगले तीन वर्षों के लिए अवधि विस्तारित कुल 432 पदों में से मूल कोटि के पे बैंड 9300–34800 ग्रेड पे–5400/– में विशेष कार्य पदाधिकारी के 30 (तीस) अस्थायी पदों के दिनांक 01.04.2016 के प्रभाव से अगले तीन वर्षों के लिए अवधि विस्तार के संबंध में ।

सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के संकल्प सं0–942 दि0– 28.01.10 द्वारा बिहार प्रशासनिक सेवा के अन्तर्गत विभिन्न स्तर के 851 समवर्गीय पद निर्धारित एवं चिन्हित किये गये। इसके पूर्व बिहार प्रशासनिक सेवा के अन्तर्गत विभिन्न ग्रेडों में 1447 पदाधिकारी कार्यरत थे। उक्त चिन्हितीकरण के फलस्वरूप बिहार प्रशासनिक सेवा में कुल–596 पदाधिकारी अतिरेक हो गये। वर्णित स्थिति में चिन्हित बल के विरूद्ध अतिरेक पदाधिकारी कार्यरत रहने के कारण विभागीय राज्यादेश सं0–3983 दिनांक– 03.05.10 एवं 8487 दिनांक–30.08.10 द्वारा मूल कोटि के पे बैंड रू0 9300–34800, ग्रेड पे रू0 5400 में वरीय उप समाहर्त्ता के 372 पद एवं विशेष कार्य पदाधिकारी के 30 पद तथा अपर समाहर्त्ता/समकक्ष स्तर के पे बैंड रू0 15600–39100, ग्रेड पे रू0 7600/– में विशेष कार्य पदाधिकारी के 30 पद अस्थायी रूप से दि0– 01.04.10 के प्रभाव से अगले तीन वर्ष के लिए सृजित किये गये। विभागीय राज्यादेश सं0–14187 दिनांक– 30.08.13 द्वारा उक्त सृजित पदों का दि0–01.04.13 के प्रभाव से अगले तीन वर्ष के लिए अवधि विस्तार किया गया। पुनः विभागीय स्वीकृत्यादेश सं0–2169 दिनांक 22.02.2017 के द्वारा बिहार प्रशासनिक सेवा के मूल कोटि के वरीय उप समाहर्त्ता के मात्र 99 पदों को दिनांक 01.4.2016 के प्रभाव से अगले तीन वर्षों के लिए अवधि विस्तारित किया गया है, परन्तु बिहार प्रशासनिक सेवा के मूल कोटि के अन्तर्गत विशेष कार्य पदाधिकारी के पूर्व से सृजित 30 पदों का अवधि विस्तार नहीं किया गया है।

2. सचिवालय स्तर पर विभिन्न विभागों में बिहार प्रशासनिक सेवा के मूल कोटि के पद स्वीकृत नहीं है। लेकिन कार्यमहत्व को देखते हुए विभिन्न विभागों द्वारा विशेष कार्य पदाधिकारी के पद पर बि0प्र0से0 के पदाधिकारियों को पदस्थापित करने का अनुरोध प्राप्त होते रहे हैं और वर्त्तमान में विभिन्न विभागों/कार्यालयों में मूल कोटि के पदाधिकारी विशेष कार्य पदाधिकारी के रूप में पदस्थापित होकर कार्यरत हैं । ऐसी स्थिति में मूल कोटि के पे बैंड रू0 9300–34800, ग्रेड पे रू0 5400/–में विशेष कार्य पदाधिकारी के 30 अस्थायी रूप से सृजित पदों का दिनांक 01.04.2016 के प्रभाव से अवधि विस्तारित करने की आवश्यकता है।

3. उपर्युक्त परिपेक्ष्य में बिहार प्रशासनिक सेवा संवर्ग के लिए विभागीय स्वीकृत्यादेश सं0–3983 दिनांक–03.05.2010 एवं 8487 दिनांक– 30.08.2010 द्वारा अस्थायी रूप से सृजित तथा स्वीकृत्यादेश सं0–14187 दिनांक– 30.08.2013 के द्वारा दिनांक–01.04.2013 के प्रभाव से अगले तीन वर्षों के लिए अवधि विस्तारित कुल–432 पदों में से मूल कोटि के पे बैंड–रू0 9300–34,800, ग्रेड पे0–5400/– में

विशेष कार्य पदाधिकारी के 30 (तीस) पदों को दिनांक–01.04.2016 के प्रभाव से अगले तीन वर्षों के लिए अवधि विस्तारित करने का प्रस्ताव में प्रशासी पदवर्ग समिति की सहमति प्राप्त है ।

4. अतः उपर्युक्त वर्णित स्थिति में बिहार प्रशासनिक सेवा संवर्ग के लिए विभागीय स्वीकृत्यादेश सं0–3983 दिनांक–03.05.2010 एवं 8487 दिनांक– 30.08.2010 द्वारा अस्थायी रूप से सृजित तथा स्वीकृत्यादेश सं0–14187 दिनांक– 30.08.2013 के द्वारा दिनांक–01.04.2013 के प्रभाव से अगले तीन वर्षों के लिए अवधि विस्तारित कुल–432 पदों में से मूल कोटि के पे बैंड–रू0 9300–34,800, ग्रेड पे0–5400/– में विशेष कार्य पदाधिकारी के 30 (तीस) पदों को दिनांक–01.04.2016 के प्रभाव से अगले तीन वर्षों के लिए अवधि विस्तारित किया जाता है ।

विशेष कार्य पदाधिकारी के उपर्युक्त 30 पद फ्लोटिंग (**Floating**) पद के रूप में सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के अधीन रहेंगे, जिन पर आवश्यकतानुसार पदस्थापन किया जा सकेगा ।

5. पदो के सृजन पर होने वाले व्यय पूर्ववत् संबंधित विभागीय बजट शीर्ष के अंतर्गत विकलनीय होगा।

(भीम प्रसाद)
सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक– 12/नि0–1009/2010 (छाया) सा0प्र0 5418 /पटना–15, दिनांक– 05.05.2017

प्रतिलिपिः– प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, वित्त विभाग, बिहार, पटना/सभी विभाग एवं विभागाध्यक्ष, बिहार, पटना/वित्त (वै0 दा0 नि0 को0) विभाग, बिहार, पटना/विभागमुख्य सचिव के प्रधान आप्त सचिव, बिहार, पटना/दिनांक 27.04.2017 को संपन्न मंत्रिपरिषद की बैठक के मद सं0–4 के आलोक में विशेष सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, बिहार, पटना/सभी संबंधित कोषागार पदधिकारी/प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना/प्रबंधक, आई0टी0, सामान्य प्रशासन विभाग,बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु/प्रशाखा 2, 8 एवं चारित्री कोषांग, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

सरकार के संयुक्त सचिव।